>

Title : Need to enhance the quota of power from Central Pool to Rajasthan.

श्री निरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : 1984 के समझौते के तहत साझेदार राज्यों को विभिन्न जल परियोजनाओं तथा आन्दपुर साहिब विद्युत जल परियोजना, मुकेरियन पन परियोजना थीन बांध परियोजना, यू.वी.जी.सी. चरण द्वितीय परियोजना और शाहपुर कांडी जल विद्युत परियोजना से राजस्थान और हरियाणा, राज्यों की हिस्सेदारी के दावों से संबंधित मुद्दों से सर्वोच्च न्यायालय की राज हेतु अभी तक सर्वोच्च न्यायालय को भेजा नहीं गया है। राजस्थान को इस नुकसान की भरपाई के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया जया है।

भारत सरकार से मांग है कि वह केन्द्रीय विद्युत के आबंटित कोटे से राज्य के हिस्से में वृद्धि कर उसे 40 प्रतिशत के स्तर तक लाएं जो कि वर्ष 1996 में राज्य का हिस्सा था।